# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

परिवाद संख्या 17/2017

सरकार जरीये श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोधपुर जोन, जोधपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम्

1. श्री प्रकाश गोयल पुत्र श्री चम्पालाल गोयल
फर्म– श्री रामदेव डिपार्टमेन्टल स्टोर, प्लॉट नं. 153 श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर
2. श्री घनश्याम चंदारी, सोमाया मार्केटिंग 15/511,
चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
निवासी– 1एफ2 प्रतापनगर, जोधपुर

अप्रार्थीगण

## आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2)क्रार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/ रीडर/2012/1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री विजयकान्त गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर (राज.) ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री प्रकाश गोयल पुत्र श्री चम्पालाल गोयल मैसर्स– रामदेव डिपार्टमेन्टल स्टोर प्लॉट नं. 153 श्रमिकपुरा मसूरिया जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत् जुर्माने योग्य अपराध है।

जोधपुर जोन, जोधपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम्

1. श्री प्रकाश गोयल पुत्र श्री चम्पालाल गोयल
   फर्म– श्री रामदेव डिपार्टमेन्टल स्टोर, प्लॉट नं. 153 श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर
2. श्री घनश्याम चंदारी, सोमाया मार्केटिंग 15/511,
   चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
   निवासी– 1एफ2 प्रतापनगर, जोधपुर

`अप्रार्थीगण

## आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2)क्रार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/ रीडर/2012/1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री विजयकान्त गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर (राज.) ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री प्रकाश गोयल पुत्र श्री चम्पालाल गोयल मैसर्स– रामदेव डिपार्टमेन्टल स्टोर प्लॉट नं. 153 श्रमिकपुरा मसूरिया जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत् जुर्माने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां), पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र, संशोधित नोटिफिकेशन,

अधिसूचना कार्यक्षेत्र, प्रपत्र–5ए, नमूना खरीद की रसीद, मौका फर्द, आधारकार्ड प्रकाश 285864621220, नमूना एडी–383 खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना एडी–383 खाद्य विश्लेषक को सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, नमूना एडी–383 के द्वितीय, तृतीय सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, प्रारूप VI, नमूना संख्या एडी–383 का चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 392–93 ,जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस 600, रेफरल लैब सट्रीफिकेट, प्रकाश द्वारा खरीद बिल पेश लिखा पत्र, सोमाया मार्केटिंग को लिखा पत्र, सोमाया मार्केटिंग द्वारा रेफरल लैब से जांच हेतु लिखा पत्र, सोमाया मार्केटिंग का फार्म वेट –03, इन्डूसलेड बैंक डी0डी0 712954 मेमोरेन्डम 6ए, अग्रेषण रिपोर्ट डायरेक्टर फुड लैबॉरेट्री, मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी जोधपुर रिपोर्ट अग्रेषण पत्र, घनश्याम चंदानी खरीद बिल पेश करने हेतु लिखा पत्र, घनश्याम चंदानी द्वारा पेश पत्र की प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2016 को 02.30 पी.एम अप्रार्थी श्री प्रकाश गोयल पुत्र श्री चम्पालाल गोयल मैसर्स– रामदेव डिपार्टमेन्टल स्टोर प्लॉट नं. 153 श्रमिकपुरा मसूरिया जोधपुर उपस्थित मिलने पर श्री प्रकाश गोयल को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता ने वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा तो इन्होने पेश किया ।

उपरोक्त निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पर फुड सीरफ, मैंगो फ्रुटी 750 एमएल की होम मेड की 5 बोलत पैक आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के समक्ष विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस. एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाहान के सामने विकेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 560/– नगद देकर फुड सीरफ, मैंगो फ्रुटी 750 एमएल की 4 प्लास्टिक की बोतल वास्ते जांच खरीदा एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा फुड सीरफ, मैंगो फ्रुटी की 4 प्लास्टिक पैक बोतल को चार भागो में कर विक्रेता एवं गवाह के समक्ष चार लेबल तैयार किये जिस पर डीओ कोड व सीरियल न. **एडी–383** दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनो पर **एडी–383** चार पेपर स्लिप **एडी–383**

पत्र, सोमाया मार्केटिंग को लिखा पत्र, सोमाया मार्केटिंग द्वारा रेफरल लैब से जांच हेतु लिखा पत्र, सोमाया मार्केटिंग का फार्म वेट –03, इन्डूसलेड बैंक डी0डी0 712954 मेमोरेन्डम 6ए, अग्रेषण रिपोर्ट डायरेक्टर फुड लैबॉरेट्री, मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी जोधपुर रिपोर्ट अग्रेषण पत्र, घनश्याम चंदानी खरीद बिल पेश करने हेतु लिखा पत्र, घनश्याम चंदानी द्वारा पेश पत्र की प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2016 को 02.30 पी.एम अप्रार्थी श्री प्रकाश गोयल पुत्र श्री चम्पालाल गोयल मैसर्स– रामदेव डिपार्टमेन्टल स्टोर प्लॉट नं. 153 श्रमिकपुरा मसूरिया जोधपुर उपस्थित मिलने पर श्री प्रकाश गोयल को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता ने वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा तो इन्होने पेश किया ।

उपरोक्त निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पर फुड सीरफ, मैंगो फ्रुटी 750 एमएल की होम मेड की 5 बोलत पैक आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के समक्ष विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस. एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाहान के सामने विकेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 560/– नगद देकर फुड सीरफ, मैंगो फ्रुटी 750 एमएल की 4 प्लास्टिक की बोतल वास्ते जांच खरीदा एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा फुड सीरफ, मैंगो फ्रुटी की 4 प्लास्टिक पैक बोतल को चार भागो में कर विक्रेता एवं गवाह के समक्ष चार लेबल तैयार किये जिस पर डीओ कोड व सीरियल न. **एडी–383** दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनो पर **एडी–383** चार पेपर स्लिप **एडी–383** हस्ताक्षर युक्त डॉ युद्धवीर सिंह राठौड, अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई एवं चारों नमूनों पर अपने एवं विकेता के हस्ताक्षर करवाये। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में स्वयं , गवाह व विकेता

ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे सिल्ड कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा दिनांक 17.05.2016 को खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

**एडी–385** नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 17.05.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 17.05.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

यह कि अभिहित अधिकारी के पत्र कमांक 392–93 दिनांक 24.06.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस. 568/एक्ट/2016/600 दिनांक 09.06.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ फ्रुड सीरफ, मैंगो फ्रुटी का नमूना **अवमानकस्तर** (Sub-Standred/ Does not Conform ) होना पाया गया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जोधपुर एवं अभिहित अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफएसएसए /2017/ स्वीकृति/ **एडी–383**/ 97 दिनांक 9/2/17 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने अवमानकस्तर (Sub-Standred/ Does not Conform ) फ्रुड सीरफ, मैंगो फ्रुटी का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 10-2-2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगणो ने दिनांक 06.03.2017 उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं आगामी तारीख पेश पर लिया गया एवं अप्रार्थीगण दिनांक 17.03.2017 को पुनः उपस्थित होकर अपने जवाब को दोहराते हुए बहस की अत' प्रत्रावली का अवलोकन किया गया एवं गहन मनन करने के उपरान्त अप्रार्थीगण सं. 01 से 02 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत दोषी पाया गया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस. 568/एक्ट/2016/600 दिनांक 09.06. 2016 द्वारा अप्रार्थीगण श्री प्रकाश गोयल की दुकान से लिया गया सैम्पल नमूना संख्या एडी–383 जांच

**एडी–385** नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 17.05.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 17.05.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

यह कि अभिहित अधिकारी के पत्र क्रमांक 392–93 दिनांक 24.06.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस. 568/एक्ट/2016/600 दिनांक 09.06.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ फ्रुड सीरफ, मैंगो फ्रुटी का नमूना **अवमानकस्तर** (Sub-Standred/ Does not Conform ) होना पाया गया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जोधपुर एवं अभिहित अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफएसएसए /2017/ स्वीकृति/ **एडी–383**/ 97 दिनांक 9/2/17 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने अवमानकस्तर (Sub-Standred/ Does not Conform ) फ्रुड सीरफ, मैंगो फ्रुटी का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 10-2-2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगणो ने दिनांक 06.03.2017 उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं आगामी तारीख पेश पर लिया गया एवं अप्रार्थीगण दिनांक 17.03.2017 को पुनः उपस्थित होकर अपने जवाब को दोहराते हुए बहस की अत' प्रत्रावली का अवलोकन किया गया एवं गहन मनन करने के उपरान्त अप्रार्थीगण सं. 01 से 02 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत दोषी पाया गया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस. 568/एक्ट/2016/600 दिनांक 09.06. 2016 द्वारा अप्रार्थीगण श्री प्रकाश गोयल की दुकान से लिया गया सैम्पल नमूना संख्या एडी–383 जांच रिपोर्ट में अनसेफ (Sub-Standred) होना पाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगणो पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी है, जिसे लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थीगणो को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। लेकिन अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगणो पर राशि रूपये 6000 (अखरे रूपये छः हजार रूपये मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23/3/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांक :- 950-954 दिनांक :- 23/3/2017

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर जोन,
4. श्री प्रकाश गोयल पुत्र श्री चम्पालाल गोयल
   फर्म– श्री रामदेव डिपार्टमेन्टल स्टोर, प्लॉट नं. 153 श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर
5 श्री घनश्याम चंदारी, सोमाया मार्केटिंग 15/511,
   चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
   निवासी– 1एफ2 प्रतापनगर, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगणो पर राशि रूपये 6000 (अखरे रूपये छः हजार मात्र मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23/3/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं<br>
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट<br>
शहर जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांक :- 950-954 दिनांक :- 23/3/2017

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर जोन,
4. श्री प्रकाश गोयल पुत्र श्री चम्पालाल गोयल<br>फर्म– श्री रामदेव डिपार्टमेन्टल स्टोर, प्लॉट नं. 153 श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर
5. श्री घनश्याम चंदारी, सोमाया मार्केटिंग 15/511,<br>चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर<br>निवासी– 1एफ2 प्रतापनगर, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं<br>
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट<br>
शहर जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी<br>
एवं अतिरिक्त जिला<br>
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर